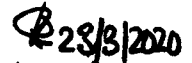


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग।

शुद्धि पत्र

कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या 115(एच0एस0) दिनांक 22 मार्च, 2020, राज्य सरकार द्वारा दी एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1897 (The Epidemic Diseases Act, 1897) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्गत किया गया है। उक्त विभागीय आदेश की कंडिका-3 (v), (vi) तथा (vii) को निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जाता है-

- 2- 3(v) में "खाद्य एवं किराने के प्रतिष्ठान" का उल्लेख है। इसमें खाद्य सामग्री के उत्पादन एवं प्रसंस्करण ईकाईयों का उत्पादन भी शामिल रहेगा।
- 3- 3(vi) में "फल सब्जियों की दूकानों" का उल्लेख है। इसमें फल एवं सब्जियों से संबंधित उत्पादन एवं प्रसंस्करण ईकाईओं में उत्पादन में शामिल रहेगा।
- 4- कंडिका 3(vii) में "दवा की दूकानें, सर्जिकल आईटम्स से संबंधित संस्थान" का उल्लेख है। इसमें दवा एवं सर्जिकल आईटम्स की उत्पादन ईकाईयां भी शामिल रहेगा।
- 5- साथ ही "सार्वजनिक परिवहन" के अन्तर्गत टैक्सी, मैजिक सवारी गाड़ी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, ओला/उबर टैक्सी, रिक्शा एवं अन्य सभी यात्री वाहन शामिल रहेंगे।
- 6- सरकारी कार्यों में वैसी सेवायें भी शामिल होगी जो विभिन्न निजी एजेंसियों के द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों को उपलब्ध करायी जा रही है।
- 7- विभागीय आदेश सं0 115(एच0एस0) दिनांक 22 मार्च, 2020 की कंडिका-4 में उल्लिखित है कि-
"साथ ही कंडिका-2 में वर्णित कार्यों/सेवाओं के लिये उपयोग में आनेवाले वाहनों एवं सरकारी कार्यों में लगे हुये वाहन इस आदेश की परिधि से बाहर रहेंगे"। उक्त में अंकित कंडिका-2 को कंडिका-3 के रूप में पढ़ा जाये।
- 8- उपरोक्त विभागीय आदेश में वर्णित अन्य निदेश यथावत रहेंगे।



(संजय कुमार)

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग।

ज्ञापांक- 155(HS)

पटना, दिनांक 23 मार्च, 2020

प्रतिलिपि -

मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला दंडाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(संजय कुमार)

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग।